

नाराज होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नहीं भेजे हैं ; और

(ड) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस मुद्दा पर विचार करेगा कि आवेदन-पत्र कालेजों से सीधे भी मंगवा ले तथा यदि शर्तें पूरी हो गई हों तो उप-कुल-पति की सिफारिशों के बगैर कालेज को अनुदान दे दें ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

(क) और (ख). विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या ८८]

(ग) सम्बद्ध कालेजों के आवेदन-पत्र विश्वविद्यालयों के जरिए आने होते हैं और उन्हीं के द्वारा सिफारिश किये जाते हैं, विश्वविद्यालय के सिफारिश करने पर अनुदान मिल सकता है ।

(घ) न भारत सरकार के पास और न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास ही कोई सूचना है ।

(ङ) सामान्य और स्वीकृत क्रियाविधि के अनुसार सम्बद्ध कालेजों को अनुदान केवल सम्बन्धित विश्वविद्यालय की सिफारिश पर स्वीकृत किया जाएगा ।

तीसरे आम चुनाव के संबंध में आंकड़े

६८४. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिभिन्न राज्यों एवं केन्द्रीय क्षेत्रों में लोक-सभा तथा राज्य की विधान सभाओं अथवा क्षेत्रीय परिषदों के लिए तीसरे आम चुनाव में कितने मत पड़े तथा कितने अवैध घोषित किए गए और कुल मतों की संख्या क्या थी ;

(ख) मान्यता-प्राप्त तथा गैर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनैतिक दलों को तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को भ्रमण भ्रमण

विभिन्न राज्यों में लोक-सभा तथा विधान सभाओं अथवा क्षेत्रीय परिषदों के लिए इस चुनाव में कितने मत मिले ;

(ग) उक्त सभी राजनैतिक दलों ने लोक-सभा तथा विधान सभाओं अथवा क्षेत्रीय परिषदों के लिए कितने-कितने उम्मीदवार खड़े किए, उनमें से कितने जीते तथा कितनों की जमानतें जब्त हुई ;

(घ) निर्दलीय उम्मीदवारों को लोक-सभा तथा विधान-सभाओं अथवा क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव में विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रीय क्षेत्रों में कितने मत मिले, और

(ङ) पिछले आम चुनाव में कितने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए, कितने उम्मीदवार विजयी हुए तथा कितनों की जमानतें जब्त हुई ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुशेन मिश्र) : (क) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है जिसमें तीसरे आम चुनाव में लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिये दिये गये मतों की संख्या और खारिज मतों की संख्या दी हुई है । (विवरण 'क') [देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या ८६]

(ख) विवरण पटल पर रख दिया गया है जिसमें लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिये हुए चुनावों में विभिन्न राज्यों के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को मिले मतों की संख्या दिखाई गई है । (विवरण 'ख') लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिये हुए चुनावों में गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों और निर्दलीय उम्मीदवारों का मिले मतों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है । [देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या ६०]

(ग) स (ड). जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

विशेष टिप्पण : क्षेत्रीय परिषदों का चुनाव विधि मंत्रालय का विषय नहीं है। अतः इन चुनावों के बारे में जानकारी विधि मंत्रालय में प्राप्त नहीं है।

Museums

985. **Shri Hem Raj:** Will the Minister of Scientific Research and Cultural Affairs be pleased to state:

(a) the number of museums maintained by the Central Government at present; and

(b) the arrangement made for more collections and their upkeep in the museums?

The Minister of Scientific Research and Cultural Affairs (Shri Humayun Kabir): (a) Apart from Vijnan Mandirs which have small collections attached to them, seventeen Museums are maintained by this Ministry.

(b) Purchases by Art Purchase Committee, and from the excavations made by the Archaeological Survey of India. Technical Staff is available in all these museums to look after the upkeep of the art objects on modern and scientific lines.

12.07 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER
OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ALLEGED ASSAULT ON A SPORTS CORRESPONDENT

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Under Rule 187, I beg to call the attention of the Minister of Education to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:—

“The reported assault on the Indian Express Sports correspondent by Shri Milkha Singh and others on the eve of their departure for Djakarta.”

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): I beg to make the following statement with regard to the incident referred to in the “Call Atten-

tion Notice” tabled by Prof. Hiren Mukerjee, Shri Prabat Kar and Shri S. M. Banerjee.

Shri Vernon Ram, Sports Correspondent of the “Indian Express”, has alleged that on the evening of Monday the 6th August, 1962, he was assaulted by Shri Milkha Singh and his colleagues at the National Stadium, New Delhi.

On the issue whether Shri Ram was physically assaulted by the athletes or not, no finding can obviously be given at this stage as eye witness accounts vary. The Government of India have therefore called upon the Indian Olympic Association to arrange for any impartial enquiry into this incident and to take such disciplinary action as may become necessary in the light of such enquiry to ensure that the conduct of our players, howsoever eminent, conforms to the highest traditions of sportsmanship.

Shri S. M. Banerjee: May I know whether it is true that after this incident, both the persons—the Correspondent and Shri Milkha Singh—shook hands?

Dr. K. L. Shrimali: I think we should welcome that this hand-shaking has taken place; it is a good thing.

Mr. Speaker: Why should the hon. Member complain about it?

12.10 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE NOTIFICATION UNDER SEA CUSTOMS ACT, CENTRAL EXCISES AND SALT ACT AND PUBLICIST ACT

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Tarkeshwari Sinha): On behalf of Shri B. R. Bhagat I beg to lay on the Table—

(i) a copy of the following Notifications under sub-section (4) of section 43B of the Sea Customs Act, 1878 and section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944, making certain further amendments to the Customs and Cen-